

# महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

## नियम व शर्तें

### अनुबंध का परिचय

इस पन्ने के दूसरी ओर बताए गए उपभोक्ता, जिन्हें यहां आगे "उपभोक्ता" कहा गया है तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिन्हें यहां आगे "एमटीएनएल" कहा गया है, जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कम्पनी है तथा जिसका 12वां तल, जीवन भारती, टॉवर-1, 124 कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में पंजीकृत कार्यालय है, के बीच एक अनुबंध सम्पादित हो जाता है, जब उपभोक्ता द्वारा अथवा उपभोक्ता की ओर से इसके दूसरी तरफ दिए गए फार्म अथवा किसी अन्य फार्म या आदेश जैसे कि मेल ऑर्डर, फैंक्स इत्यादि, पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तथा "एमटीएनएल" ने इन शर्तों का उपयोग होने पर उसे स्वीकार कर दिया हो।

"उपभोक्ता उपकरण" :- इसका अर्थ है अनुबंध में बताया गया उपभोक्ता का जीएसएम मोबाइल टेलीफोन उपकरण।

"नेटवर्क" :- इसका अर्थ है एमटीएनएल का जीएसएम नेटवर्क।

"सेवा" :- इसका अर्थ है ऐसी सेवा जो उपभोक्ता को नेटवर्क पर उपभोक्ता उपकरण का उपयोग करके द्विमागीय संचार उपलब्ध करवाती है तथा अन्य अतिरिक्त संबंधित सेवाएं, यदि उपभोक्ता के साथ इनका विशेष रूप से समझौता हुआ हो, उपलब्ध करवाती है।

"प्रशुल्क" :- इसका अर्थ तथा इसमें समाहित है ऐसी सहमत प्रशुल्क अनुसूची तथा सभी दर संबंधित शर्तें जैसे कि जमा राशियां, संस्थापन शुल्क, किराया, उपयोग शुल्क एवं प्रशुल्क अनुसूची के अंतर्गत कोई अन्य संबंधित शुल्क एवं सेवा प्रभार जैसा कि महानगर टेलीफोन निगम द्वारा समय-समय पर अधिसूचित एवं प्रकाशित करवाई जाएं।

"सिम" :- इसका अर्थ है उपभोक्ता का पहचान माड्यूल जो आंकड़ों के साथ प्रोग्राम किया गया एक कार्ड अथवा माइक्रोचिप होता है जिसका उपयोग नेटवर्क से जुड़ने में किया जाता है।

## 1. अनुबंध की अवधि

(i) अनुबंध की अवधि दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बीच दिल्ली तथा मुंबई एवं निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों, जिनके लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है, में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के संचालन के लिए हुए लाइसेंस अनुबंध के अनुसार तथा इस अनुबंध की अन्य शर्तों के अधीन होगी।

## 2. अनुबंध का प्रारंभ

(i) अनुबंध एमटीएनएल द्वारा सिम कार्ड चालू करने पर शुरू होगा तथा अन्य शर्तों के अधीन उपभोक्ता द्वारा चुनी गई योजना (योजनाओं), सेवा (सेवाओं), के अनुसार जारी रहेगा तथा सेवाएं देने के महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के लाइसेंस के साथ चलेगा। उपभोक्ता द्वारा किए गए किसी भुगतान से उपभोक्ता के पक्ष में कोई अधिकार सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक कि टेलीफोन चालू नहीं हो जाता। इसके अतिरिक्त एमटीएनएल जो उपभोक्ता के बैंक/ऋणदाता एवं ऐसे अन्य स्रोतों से वित्तीय एवं अन्य सूचना मांगने/सत्यापित करने का अधिकार एवं किसी भी कारण से बिना किसी देयता के टेलीफोन चालू करने के बाद भी पंजीकरण रद्द करने का अधिकार होगा।

(ii) उपभोक्ता का मानना है कि उन्हें एमटीएनएल द्वारा दी जाने वाली सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के विषय में पूरी जानकारी, इसके विशेष विवरण, अपेक्षाओं, सीमाओं इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है तथा उन्होंने इसके बाद ही इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

(iii) एमटीएनएल "डॉल्फिन" सहित किसी भी ब्राण्ड के नाम से सेवाएं देने के लिए स्वतंत्र होगा।

## 3. सेवाएं

(i) उपभोक्ता को एक सिम कार्ड तथा उसके साथ पिन (उपभोक्ता का सुरक्षा कोड) एवं एक व्यक्तिगत दूरभाष नं० (जिसे एमटीएनएल द्वारा कभी भी बदला जा सकता है) प्रदान किया जाएगा जिससे उपभोक्ता स्वीकृति के बाद एमटीएनएल की सेवाओं का

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्थानीय क्षेत्र एवं उन भौगोलिक क्षेत्रों, जिनके लिए लाइसेंस दिया गया है, की एमटीएनएल की प्रणाली संचालन रेंज के अंदर उपयोग कर सकें।

(ii) सिम कार्ड एवं व्यक्तिगत दूरभाष नं० पूर्ण रूप से एमटीएनएल की संपत्ति हैं तथा रहेंगे एवं उपभोक्ता द्वारा सेवाओं के समाप्त होने, इसके निर्धारण होने तथा/अथवा सेवाओं के अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने पर एमटीएनएल को वापस लौटाया जायेगा।

(iii) किसी विशेषता/अनुपूरक सेवाओं/पद्धतियों "स्कीम, योजना" (प्लान) में परिवर्तन वृद्धि/कम किए जाने के लिए उपभोक्ता अपेक्षित फार्म भरेंगे तथा इस संदर्भ में उसकी अतिरिक्त शर्तों से संचालित होंगे। किसी भी अनुपूरक सेवा इत्यादि से परिवर्तन अथवा उसे छोड़ देने से उपभोक्ता पहले ही भुगतान की गई धनराशि, बिल बनाई गई राशि अथवा अतिरिक्त शर्तों के अंतर्गत बिल बनने वाली राशि की वापसी अथवा समायोजन के अधिकारी नहीं होंगे।

(iv) उपभोक्ता इस सेवा का प्रयोग किसी अवैधानिक अथवा गैर कानूनी उद्देश्यों हेतु अथवा अश्लील, अशिष्ट, धमकी, तंग करने, अवांछित संदेशों को भेजने अथवा ऐसे संदेशों को भेजने के लिए नहीं करेगा, जो राष्ट्रीय हित को प्रभावित करते हों, अतिक्रमण करते हों तथा न एमटीएनएल अथवा इसके नेटवर्क तथा/अथवा अन्य उपभोक्ताओं को क्षति अथवा खतरा पैदा करेंगे। एमटीएनएल ऐसी किसी भी घटना की स्थिति में अपने एक मात्र विवेक से सेवा को काटने का अधिकार रखता है।

(v) सेवा की गुणवत्ता, कार्यशीलता, उपलब्धता तथा/अथवा विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है तथा/अथवा एमटीएनएल को बिना किसी दायित्व के अपने एकमात्र विवेकानुसार किसी एक/सभी उपभोक्ताओं की सेवा को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से किसी भी समय बिना कोई सूचना दिए, बिना किसी कारण तथा/अथवा विभिन्न कारणों (जिसमें शामिल हैं परन्तु जो सीमित नहीं है – सरकारी/दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नियम, विनियम, आदेश, निदेश, अधिसूचना इत्यादि तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों सहित तक) के कारण, सेवा को देने से इंकार करने, सीमित करने, निलंबित करने, परिवर्तित करने, काटने तथा/अथवा बाधित करने का अधिकार है।

(vi) संचार की गोपनीयता (प्राइवैसी) की गारन्टी नहीं है तथा यह सरकारी विनियमों एवं ऐसे अन्य कारणों के अधीन होगी। एमटीएनएल को एकमात्र अपने

विवेकानुसार किसी भी समय किसी भी सेवा/अनुपूरक सेवाओं/पद्धतियों (स्कीम/योजनाओं) (प्लान) को परिवर्तित करने, बढ़ाने, वापस लेने तथा/अथवा शर्तों एवं प्रभारों में परिवर्तन करने का अधिकार है। दरें/प्रभार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भी बदल सकते हैं।

#### 4. बिल बनाया जाना एवं भुगतान :-

(i) बिल क्रम मासिक आधार पर अथवा एमटीएनएल द्वारा समय-समय पर किए गए निर्णय के अनुसार तय अवधि के आधार पर चलेगा तथा आवधिक बिल उसी के अनुसार जारी किए जाएंगे। उपभोक्ता निर्धारित तिथि तक अपना बिल भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। उपभोक्ता को अपनी शेष राशि के विषय में स्वयं पता करना होगा तथा किसी भी कारण से मासिक बिल प्राप्त न होने की स्थिति में भी उसका निपटान करना होगा।

(ii) बिल उपभोक्ता द्वारा बिल भेजे जाने हेतु दिए गए पते पर भेजे जाएंगे। पते में कोई परिवर्तन होने पर बिल विभाग को ऐसे परिवर्तन तथा उसके प्रमाण सहित लिखित में सूचना प्राप्त होनी चाहिए जिससे परिवर्तन स्वीकार्य हो सके।

(iii) अनुपूरक सेवा प्रभाग एक ही बार देना होगा, यदि उपभोक्ता समय-समय पर लागू ऐसी प्रशुल्क दरों पर एक/अधिक/सभी वैकल्पिक सेवाओं को लेना चाहते हैं, जिसमें कि मूल्य-वर्धित/अनुपूरक सेवा भी शामिल है।

(iv) उपभोक्ता एमटीएनएल को ग्राहक शुल्क (सब्सक्रिप्शन चार्ज), कॉल-प्रभार, चुनी गई मूल्य-वर्धित सेवा का प्रभार, मोबाइल से फिक्स्ड नेटवर्क को की गई कॉलों का एमटीएनएल शुल्क, मासिक किराया, एसटीडी/आईएसडी प्रभार, सेवा-कर, लाइसेंस-शुल्क एवं सेवाओं के लिए समय-समय पर लागू एमटीएनएल द्वारा अधिसूचित एवं प्रकाशित भुगतान योग्य अन्य प्रभारों का भुगतान करने के लिए सहमत है।

(v) उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी प्रभारों एवं अन्य राशियों का भुगतान निर्धारित देय तिथि के अंदर कर दिया जाना चाहिए। सभी प्रभारों की पूरी धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए। इसमें कोई कटौती, रोकੀ गई राशि का हिसाब नहीं रखा जाना चाहिए। सभी भुगतान केवल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पक्ष में ही किए जाएं।

(vi) जमा राशि, कनैक्शन-प्रभार, मासिक-किराया प्रभार, कॉल-प्रभार तथा अन्य देय प्रभारों की वर्तमान दर एमटीएनएल द्वारा अधिसूचित "प्रशुल्क अनुसूची" में दी गई है। एमटीएनएल के पास मूल्य-वर्धित सेवाओं, अनुपूरक सेवाओं के प्रशुल्क, प्रभारों तथा सेवाओं की अन्य शर्तों को पूर्व प्रभावी तिथि से अथवा भावी तिथि से परिवर्तित करने का विकल्प होगा तथा यह उपभोक्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

(vii) यदि उपभोक्ता उपकरण अथवा सिम गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उपभोक्ता तुरन्त एमटीएनएल को सूचित करें। यह अधिसूचना एमटीएनएल सभी अथवा आंशिक सेवाओं को निलंबित तथा/अथवा नेटवर्क से उपभोक्ता उपकरण को काट देने हेतु प्राधिकृत करेगी तथापि उपभोक्ता ऐसी अधिसूचना एवं एमटीएनएल द्वारा सेवाओं के स्थगन से पूर्व की गई सभी कॉलों के प्रभार के लिए उत्तरदायी होगा।

(viii) उपभोक्ता को अनुबंध की अवधि के दौरान अपने मोबाइल नम्बर तथा/अथवा सिम से की गई सभी कॉलों/इन पर प्राप्त सभी कॉलों के शुल्क का भुगतान करना होगा फिर चाहे ये कॉल उपभोक्ता द्वारा अधिकृत हों या नहीं तथा वे किसी क्रेडिट सीमा, यदि कोई ऐसी क्रेडिट सीमा हो जिस पर एमटीएनएल तथा उपभोक्ता के बीच सहमति हुई हो, से अधिक हों या न हों।

(ix) एमटीएनएल की आन्तरिक क्रेडिट रेटिंग के आधार पर जब भी एमटीएनएल मांगे, उपभोक्ता अंतरिम भुगतान करने के लिए सहमति देता है।

(x) उपभोक्ता उपकरण अथवा सिम के गुम हो जाने अथवा उसका उपयोग न कर सकने पर अनुबंध की अवधि अथवा प्रभारों का भुगतान करने का उपभोक्ता का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता है।

(xi) जहां सुरक्षा जमा राशि का भुगतान किया गया हो, जमा राशि अथवा शुल्क का शेष (यदि कोई हो), का विधिवत भुगतान कर दिया गया हो, उपभोक्ता को एमटीएनएल द्वारा सूचित शर्तों के पूर्ण किए जाने पर वापस भुगतान कर दिया जाएगा। जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। एमटीएनएल को परिवार के किसी सदस्य के एमटीएनएल कनैक्शन की सुरक्षा जमा-राशि को उस परिवार के दूसरे सदस्य (सदस्यों) के एमटीएनएल कनैक्शन के बिल में समायोजित करने का अधिकार है।

(xii) कॉल प्लस दर नियामक प्राधिकरण द्वारा तथा/अथवा एमटीएनएल द्वारा समय-समय पर विशेष रूप से निर्धारित नियमों एवं विनियमों से संचालित होगी।

(xiii) मदवार मासिक बिल अनुरोध पर उपलब्ध हैं तथा उस दर पर प्रभार योग्य हैं, जैसा कि एमटीएनएल द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाये।

#### 5. विलम्बित भुगतान के लिए दंडात्मक प्रभार :-

(i) मासिक बिलों पर बिल भुगतान की अंतिम तिथि के बाद 2% प्रतिमाह की दर से ब्याज अथवा ऐसी अन्य दर से/निश्चित राशि, जैसा कि एमटीएनएल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये, वसूल की जाएगी तथापि इससे एमटीएनएल द्वारा सेवाओं को भुगतान न होने के कारण आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निलम्बित करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### 6. निलम्बन एवं टेलीफोन काटा जाना

(i) एमटीएनएल ऐसे किसी भी कारण से, जिन्हें वह उचित समझे तथा जिसमें निम्नलिखित कोई भी स्थिति शामिल हो सकती है, के आधार पर सेवाओं को किसी भी समय पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निलम्बित कर सकता है तथा/अथवा नेटवर्क से किसी भी उपभोक्ता उपकरण को काट सकता है।

(ii) उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता अनुबंध फार्म में दिए गए किसी भी विवरण, जिसमें पते की पुष्टि भी शामिल है, में पायी गयी किसी विसंगति के कारण।

(iii) भुगतान की अंतिम तिथि के बाद भी बिलों का भुगतान न होना, उपभोक्ता द्वारा भुगतान की अंतिम तिथि के अंदर देय बिल का भुगतान न करने अथवा चैक अमान्य होने के मामले में उन्हें सूचित करके/सूचना न देकर उपभोक्ता कनैक्शन को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से काट देने अथवा स्थानीय कॉलिंग सुविधा पर रखने का अधिकार एमटीएनएल के पास सुरक्षित है। यद्यपि कोई नोटिस दिया जाना बाध्यकारी नहीं है फिर भी उपभोक्ता के मोबाइल पर भेजी गई कॉल चेतावनी अथवा एक 'एसएमएस' संदेश या कोई मौखिक अथवा लिखित संदेश इस संबंध में विधिवत सूचना माने जाएंगे।

(iv) तकनीकी असफलता, संशोधन-सुधार अथवा मरम्मत या नेटवर्क के परीक्षण के दौरान।

(v) एमटीएनएल के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह उपभोक्ता की निर्धारित क्रेडिट सीमा के अधिक होने पर इस संबंध में सूचना देकर अथवा बिना सूचना दिए उपभोक्ता कनेक्शन को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से काट दे अथवा उसे स्थानीय कॉल सुविधा पर रख दें। यद्यपि एमटीएनएल इस बात की गारन्टी नहीं देता कि कनेक्शन का ऐसा निलम्बन/काटा जाना उपभोक्ता द्वारा क्रेडिट सीमा पर पहुंचने पर तुरन्त ही कर दिया जाएगा। एमटीएनएल को एयर टाइम सेवाओं तथा अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं के उपयोग की क्रेडिट सीमा पूर्व निर्धारित तथा पूर्व निश्चित करने का अधिकार है। यदि उपभोक्ता ने अपनी पूर्व निर्धारित सीमा पार कर ली है तो वह उस वर्णित सीमा के बाद की गई सभी कॉलों तथा प्राप्त की गई सेवाओं का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(vi) जब यह अनुबंध इस अनुबंध की शर्तों के अनुरूप किसी कारण से समाप्त किया जाता है।

(vii) कोई अन्य कारण जो एमटीएनएल द्वारा सेवा के निलम्बन/काट दिए जाने के लिए उपयुक्त पाया जाये।

## 7. दायित्व

(i) एमटीएनएल उपभोक्ता को होने वाली व्यापार की किसी हानि, लाभग, राजस्व अथवा साख, पूर्वानुमानित बचतों, उपयोग अथवा अनुबंधों अथवा किसी अप्रत्यक्ष या परिणास्वरूप होने वाली किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ii) एमटीएनएल किसी विलम्बित सक्रियकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(iii) एमटीएनएल उपभोक्ता द्वारा किसी ऐसी पार्टी के साथ किए जाने वाले सौदों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो कि एमटीएनएल द्वारा अपनी तरफ से व्यवहार (ढील) करने के लिए अधिकृत न किए गए हों।

(iv) एमटीएनएल द्वारा ऐसी कोई वारन्टी, उभ्यावेदन, गारंटी अथवा वचनपत्र नहीं दिए गए हैं, जिनका कि यहां इसमें विशिष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो।

(v) एमटीएनएल अपने नियंत्रण के बाहर की स्थितियों में अनुबंध अथवा अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को निभाने में किसी असफलता के लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा। यह स्थितियां हो सकती हैं – वातावरण/पर्यावरणीय स्थितियां, भौतिक संरचनाएं जैसे (पुल एवं भवन) तथा दूरभाष केन्द्रों के निकटता, दैवी प्रकोप इत्यादि तथा अन्य शक्ति, मध्यस्थता (मेज्योर) स्थितियां जिनके कारण सेवाएं प्रभावित होती हैं।

(vi) डॉल्फिन एमटीएनएल के नियंत्रण के बाहर के कारणों, जैसे कि पर्यावरणीय दशाओं, भौतिक संरचनाओं जैसे (भवन तथा पुल) एवं आधार स्टेशनों की निकटता, प्राकृतिक आपदाओं, मध्यस्थता, जिनके कारण सेवाएं प्रभावित होती हैं, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(vii) एमटीएनएल एजेंटों (फ्रैंचाइजी/व्यापार सहयोगियों/वितरकों/चैनल साझेदारों/डीलरों/रिटेलरों) की ऐसी योजनाओं के संदर्भ में उत्तरदायी उत्तरदायी नहीं होगा, जो एमटीएनएल द्वारा प्राधिकृत नहीं हैं अथवा जिन्हें एमटीएनएल की ओर से दिए जाने के लिए कहा जाए परन्तु उन्हें एमटीएनएल की स्वीकृति प्राप्त न हो।

(viii) उपभोक्ता को जीएसएस नेटवर्क से जुड़ने के लिए उपयोग में लाने हेतु एक सिम दिया जाता है। उपभोक्ता इन्हें सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी है। एमटीएनएल इनके अनधिकृत उपयोग के कारण उपभोक्ता को होने वाली किसी देयता अथवा इनके गुम हो जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि उपभोक्ता सिम कार्ड कहीं खो देता है तो उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र एमटीएनएल को दी जाये। नया सिम कार्ड को जारी किया जाना समय-समय पर निर्धारित प्रशुल्क अनुसूची के अनुसार शुल्क प्रभारित करेगा।

(i) सिम कार्ड उपभोक्ता के पास एमटीएन एल की रचनात्मक सम्पत्ति के रूप में रहता है और नियमों एवं शर्तों के अनुसार किसी भी कारण से उपभोक्ता संबंधों को तोड़ देने/निलंबित किए जाने पर एमटीएनएल को वापस लौटाना होगा। एमटीएनएल सिम कार्ड की खरीद की तिथि से 6 महीने की समाप्ति के बाद उसके निर्माण में किसी दोष के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस अवधि के बाद उपभोक्ता को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके नया सिम कार्ड प्राप्त करना होगा।

## 8. बिक्री अथवा अंतरण

(i) एमटीएनएल कनेक्शन/सिम कार्ड अहस्तांतरणीय होगा तथा उपभोक्ता द्वारा इसका निजी रूप से हस्तांतरण उसके एमटीएनएल के प्रति ऐसे विशिष्ट कनेक्शन/सिम कार्ड के संबंध में लगाए गए प्रभार के लिए प्राथमिक कर्तव्य से मुक्त नहीं करेगा।

(ii) एमटीएनएल द्वारा उपभोक्ता के अलावा अन्य व्यक्ति के भुगतान स्वीकार कर लेने का यह अर्थ नहीं कि एमटीएनएल ने उपभोक्ता के अधिकार अथवा दायित्व का हस्तांतरण/संशोधन स्वीकार कर लिया है।

## 9. विवाद का निपटारा

(i) किसी भी विवाद की स्थिति में मामला एकमात्र संबंधित मुख्य महाप्रबंधक अथवा उनके द्वारा नामित प्राधिकारी की मध्यस्थता (आरबीट्रेशन) को भेजा जाएगा तथा मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम 1996 के प्रावधानों के द्वारा संचालित होगा।

## 10. अनुबंध को समाप्त करना

(i) उपभोक्ता अनुबंध की अवधि को एमटीएनएल को कम से कम 30 दिन का नोटिस देकर समाप्त कर सकता है परन्तु ऐसा नोटिस अनुबंध की अवधि को तब तक समाप्त नहीं कर सकता, जब तक सिम कार्ड के विवरण संबंधी प्रभारों एवं प्रशुल्क के अनुसार प्राप्त की गई सभी सेवाओं का प्रभार विधिवत् नहीं निपटा लिया जाता। उपभोक्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपनी तरफ से कनेक्शन काटने के पहले अपने बकायों का पूरा भुगतान कर दें।

(ii) एमटीएनएल अनुबंध की अवधि को किसी भी समय बिना कोई सूचना दिए तथा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर सकता है, यदि इस अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन होता है। अन्य सभी मामलों में एमटीएनएल द्वारा उपभोक्ता को अपने विवेकानुसार निर्धारित की गई विधि से समुचित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

## 11. अन्य मामले

(i) उपभोक्ता द्वारा एमटीएनएल को दिया जाने वाला कोई भी अपेक्षित नोटिस लिखित रूप में महाप्रबंधक (मोबाइल सेवा) को उनके निर्दिष्ट पते पर देना होगा।

(ii) जहां उपभोक्ता दो या अधिक व्यक्ति से मिलकर बना है उनका दायित्व संयुक्त एवं पृथक (सिविलरल) होगा।

(iii) यह अनुबंध केवल दिल्ली के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही योग्य होगा।

(iv) सेल्युलर सेवाओं का क्षेत्र भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) तथा भारत सरकार द्वारा संचार मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किये गये लाइसेंस पैरामीटर के अन्दर अनुबंध के अंतर्गत जारी कानूनी दिशा निर्देशों के द्वारा संचालित होता है। सेल्युलर दूरभाष सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित तार अधिनियम 1885 द्वारा संचालित होती हैं।

## 12. महत्वपूर्ण

(i) व्यस्त समय के मानदण्ड (पीक स्टैंडर्ड) एवं सामान्य घण्टों (ऑफ पीक ऑवर्स) के मानदण्ड अलग-अलग ऑपरेटरों में अलग-अलग हो सकते हैं।

(ii) आप जिन नेटवर्क क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए आपके रोमिंग उपयोग पर अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार लगाए जाएंगे।

(iii) प्रभारों के मासिक विवरण में केवल रोमिंग कॉलों के लिए समेकित कॉल प्रभार दर्शाए जाएंगे तथा एयर टाइम एवं लैंड लाइन प्रभारों का अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं होगा।

(iv) रोमिंग की स्थिति में आवक कॉलों का शुल्क लागू एसटीडी/आईएसडी दरों पर वसूला जाएगा तथा इसके साथ उस स्थान पर आवक एयर टाइम भी प्रभावित किया जाएगा, जिस स्थान की यात्रा की जा रही हो।